भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3620

13 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय आयुष मिशन का आकलन

3620. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन का कोई स्वतंत्र प्रभाव आकलन किया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेष रूप से तमिलनाडु में, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आवंटित धनराशि और किए गए वास्तविक व्यय का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि योग्य चिकित्सकों और बुनियादी ढांचे की कमियों के कारण सरकारी अस्पतालों में कई स्वीकृत आयुष औषधालय और एकीकृत आयुष इकाइयां कार्यशील नहीं है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में आयुष डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आपूर्ति की जाने वाली आयुष दवाओं के वैज्ञानिक सत्यापन, गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण के तंत्र का मूल्यांकन किया है; और

(च) क्या सरकार का क्षेत्रीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुसार आयुष बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहुंच को डिजाइन करने में वित्तीय आवंटन बढ़ाने और राज्यों को अधिक लचीलापन प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): जी हां, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) का तृतीय पक्ष मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा वर्ष 2025 में स्वास्थ्य क्षेत्र की सीएसएस योजना के मूल्यांकन के अंतर्गत किया गया था।

(ख): विगत तीन वर्षों के दौरान, तमिलनाडु सहित देश में एनएएम के तहत स्वीकृत/आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **संलग्नक** पर दिया गया है।

(ग) और (घ): सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, देश में पर्याप्त अवसंरचना के साथ-साथ आयुष चिकित्सकों और पैरा-मेडिकल कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। तदनुसार, देश में आयुष चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मचारियों के विभिन्न रिक्त पदों की स्थिति का ब्यौरा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा रखा जा रहा है। इसके अलावा, एनएएम के तहत, आयुष मंत्रालय विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों का समर्थन कर रहा है,

जिसमें विभिन्न आयुष सुविधाओं की अवसरंचना का विकास और एनएएम दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधान के अंतर्गत राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए आयुष चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की संविदात्मक जनशक्ति की तैनाती शामिल है।

(ङ): जी नहीं, ऐसा मूल्यांकन नहीं किया गया है। हालांकि, सरकार ने विनिर्माताओं के लिए विनिर्माण इकाइयों और दवाओं के लाइसेंस के लिए निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें औषधि नियम, 1945 की अनुसूची न और अनुसूची ड-झ के अनुसार सुरक्षा और प्रभावशीलता का सत्यापन, उत्तम विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) का अनुपालन और संबंधित फार्माकोपिया में दिए गए औषधियों के गुणवत्ता मानकों का अनुपालन शामिल है। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ संगठन नामतः भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों के लिए फॉर्मुलरी विनिर्देशों और भेषजसंहिता मानकों को निर्धारित करता है जो एएसयू एंड एच औषधियों की गुणवत्ता (पहचान, शुद्धता और सामर्थ्य) का पता लगाने के लिए आधिकारिक संकलन के रूप में कार्य करता है। पीसीआईएम एंड एच, एएसयू एंड एच औषधियों के परीक्षण या विश्लेषण के लिए अपीलीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा, यह औषध नियामक प्राधिकरणों, औषध विश्लेषकों और अन्य संबंधित हितधारकों के लिए एएसयू एंड एच औषधियों के मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण या विश्लेषण के लिए नियमित अंतराल पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित करता है, जो एएसयू एंड एच औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रयोगशाला तकनीकों और पद्धतियों पर केंद्रित होता है।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) में आयुष वर्टिकल की स्थापना की है और आयुष दवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाइसेंसिंग अधिकारियों/औषध निरीक्षकों के साथ समन्वय करते हुए विभिन्न विनिर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया है।

(च): एनएएम के तहत, आयुष अवसंरचना और सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियों सहित विभिन्न गतिविधियों के तहत एसएएपी के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यकतानुसार एक समर्पित संसाधन पूल के बारे में सूचित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आवंटित संसाधन पूल का 25% फ्लेक्सीपूल घटक के लिए निर्धारित किया जा रहा है और राज्यों को आयुष अवसंरचना सहित आवश्यकतानुसार अपनी मांग/गतिविधियों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई है।

संलग्नक

विगत तीन वर्षों के दौरान, एनएएम के तहत, तमिलनाडु सहित देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत/आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25		कुल	
		जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	उपयोग किया गया केन्द्रीय हिस्सा	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	उपयोग किया गया केन्द्रीय हिस्सा	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	उपयोग किया गया केन्द्रीय हिस्सा	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	उपयोग किया गया केन्द्रीय हिस्सा
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	142.39	142.39	407.29	398.28	542.75	498.96	1092.42	1039.63
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	2497.19	1552.62	2497.19	1552.62
3	अरुणाचल प्रदेश	402.04	402.04	1186.04	1186.04	1498.84	1498.84	3086.92	3086.92
4	असम	1011.77	1011.77	3471.45	3471.45	6511.87	6511.87	10995.09	10995.09
5	बिहार	0	0	1161.06	430.44	0	0	1161.06	430.44
6	चंडीगढ़	189.73	166.8	226.32	225.67	447.58	373.69	863.63	766.16
7	छत्तीसगढ़	0	0	2151.43	1825.94	3194.06	2592.84	5345.49	4418.78
8	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	0	0	408.45	408.45	690.73	690.73	1099.18	1099.18
9	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
10	गोवा	142.29	142.29	628.3	580.9	610.67	598.2	1381.26	1321.39
11	गुजरात	1908.62	1637.92	2961.42	1887.62	2623.1	698.18	7493.15	4223.72
12	हरियाणा	1219.91	1219.91	3026.59	2823.46	1371.9	1365.07	5618.39	5408.44
13	हिमाचल प्रदेश	3873.58	3873.58	3659.22	3659.22	2899.09	2899.09	10431.89	10431.89
14	जम्मू-कश्मीर	4895.09	4895.09	7510.36	7510.36	4361.6	4361.6	16767.05	16767.05
15	झारखंड	7752.57	7752.57	2390.42	2390.42	3217.06	3217.06	13360.05	13360.05
16	कर्नाटक	1714.09	1590.78	5031.54	4753.98	6067.28	3119.15	12812.91	9463.91
17	केरल	4399.83	4399.83	7989.4	7989.4	11037.96	10472.07	23427.19	22861.3
18	लद्दाख	72.27	72.27	47.32	47.32	190.29	190.29	309.87	309.87
19	लक्षद्वीप	116.32	116.32	332.01	332.01	220.48	214.77	668.81	663.11
20	मध्य प्रदेश	1716	1716	6120	6120	8169.59	8169.59	16005.59	16005.59

21	महाराष्ट्र	0	0	2235.54	1959.83	2681.16	1207.86	4916.69	3167.69
22	मणिपुर	1723	1694.59	0	0	1276.67	1191.2	2999.67	2885.79
23	मिजोरम	117.27	117.27	1057.86	1057.86	1101.48	1101.48	2276.61	2276.61
24	मेघालय	796.84	796.84	1722.6	1722.6	1520.48	1520.48	4039.92	4039.92
25	नागालैंड	495.78	495.78	1016.97	1016.97	1342.11	1342.11	2854.86	2854.86
26	ओडिशा	0	0	0	0	2369.21	2369.21	2369.21	2369.21
27	पुडुचेरी	623.95	623.51	197.08	179.21	683.4	325.49	1504.43	1128.21
28	पंजाब	0	0	109.85	109.85	1701.1	1691.36	1810.95	1801.21
29	राजस्थान	0	0	3731.51	3731.51	15051.8	15051.8	18783.31	18783.31
30	सिक्किम	626.06	626.06	492.37	492.37	434.78	434.78	1553.21	1553.21
31	तमिलनाडु	2428.69	2125.68	6635.76	6431.24	7380.32	5551.27	16444.77	14108.19
32	तेलंगाना	0	0	1225.17	1225.17	2491.38	2491.38	3716.55	3716.55
33	त्रिपुरा	1030.9	1030.9	566.99	566.99	815.77	815.77	2413.66	2413.66
34	उत्तर प्रदेश	14437.6	14189.87	12418.6	11925.3	13903.18	8172.22	40759.37	34287.38
35	उत्तराखंड	1855.8	1855.8	3234.38	3234.38	2441.12	2441.12	7531.29	7531.29
36	पश्चिम बंगाल	1056.58	1042.18	3379.39	3326.39	2308.43	1364.07	6744.4	5732.64
	कुल	**54748.9**	**53738**	**86732.7**	**83020.6**	**113654.4**	**96096.2**	**255136**	**232855**